

20.11.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाव अवलोकन पाया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही नही कि जा रही है प्रार्थी अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित नही आए प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

राह्यक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

